2013/00036

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 19/2013

प्रार्थी
तेजमालसिंह पुत्र मोकमसिंह
जाति राजपूत निवासी मगरा
तहसील शिव

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.उमाराम पुत्र फूसाराम के
कायम मुकाम —
1/1.बाबुराम पुत्र पोकराराम
जाति चौधरी निवासी राणीगांव
हाल सांगरिया फांटा तहसील
लूणी जिला जोधपुर
2.राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार शिव—गडरारोड

राजस्व आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4)राजस्थान भू—राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन),1970

उपस्थितः—1.श्री मलार खां अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2.अप्रार्थी सं.01/1. एक तरफा।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं.02 की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.12.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 उमाराम वल्द फूसाराम कौम चौधरी साकिन राणीगांव तहसील बाड़मेर को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.05.1967 को ग्राम हरसाणी के खसरा नम्बर 2146 रकबा 45 बीघा 10 विस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी काश्त नहीं की है,उसका उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है और न ही उसका अता—पता है,जो भूमि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन है। इसलिये आवंटी उमाराम के पक्ष में किया गया भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।
2. प्रकरण नम्बर पर दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थी सं. 01/1 जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होने के उपरान्त हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
3. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है अप्रार्थी संख्या 01 उमाराम को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.05.1967 को ग्राम हरसाणी के खसरा नम्बर 2146 रकबा 45 बीघा 10 विस्वा भूमि का आवंटन किया था। अप्रार्थी उमाराम का आवंटन से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त नहीं है, और न ही आवंटी व उसके वारिशान का वर्तमान में इस ग्राम में निवास है। इसलिये भूमि

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होने से अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाए।

4. प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि आवंटित भूमि पर आवंटित दिनांक से आदिनाक तक अप्रार्थी उमाराम व उसके परिवार का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी ग्राम हरसाणी व राणीगांव में नहीं रहता है। अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन खारिज किया जाए।

5. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलबध अभिलेख जमाबंदी, नामान्तरकरण, खसरा गिरदावरी एंव तहसीलदार गडरारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्राथी संख्या 01 उमाराम को ग्राम हरसाणी के खसरा नम्बर 2146 रकबा 45 बीघा 10 विस्वा भूमि का दिनांक 05.05.1967 को आवंटन किया गया था। आवंटी के नाम भूमि राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी में अंकित है,तथा खसरा गिरदावरी के अनुसार भी आवंटी उमाराम को आवंटित भूमि पर कोई काश्त अंकित नहीं है। अप्रार्थी–आवंटी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार अभी तक नहीं दिये गये है। खसरा गिरदावरी के आधार पर आवंटन के वर्ष से आज तक प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है,तथा अप्रार्थी का आवंटित स्थल पर कोई स्थाई पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने से भूमि आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार गडारारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटी उमाराम पुत्र फूसाराम राणीगांव का निवासी नहीं है गलत पता बताकर आवंटन कराया है आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर आ दिन तक आवंटी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 2070 से भी इसकी पुष्टि होती है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(3) एंव 14(8)(a) में आवंटन की शर्ते निम्नानुसार निर्धारित है:–

14(3)The allottee shall have to cultivate at least 50% of the land in the first year of allotment and the remaining area in the second year.

14(8)The land shall be liable to be resumed by the state Government without payment of compensation if –

(a)it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilized.

6. अतः आवंटी उमाराम द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन से लगाकर आज दिन तक कोई काश्त नहीं की गई है। इस प्रकार आवंटित सुदा भूमि पर काश्त न कर आवंटी द्वारा नियम 14(3) एंव 14(8)(a) में उल्लेखित शर्तो की पालना नही की गई है,बल्कि उसका स्पष्ट रूप से

बाड़मेर

उल्लंघन किया गया है। फलस्वरूप आवंटी के पक्ष में किया गया उपरोक्त भूमि का आवंटन निरस्त योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी उमाराम पुत्र फूसाराम के पक्ष में ग्राम हरसाणी के खसरा नम्बर 2146 रकबा 45 बीघा 10 विस्वा भूमि का दिनांक 05.05.1967 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार,गडरारोड को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर,पारित नामान्तरकरण एंव जमाबंदी की प्रति इस न्यायालय के अभिलेख हेतु उपलब्ध करावें।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर